डिक्री

(आर्डर 20, रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

(Civil Procedure Code Appendix D-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम किशनगढ (अजमेर)

व इजलास श्रीमती निशा सहारण (आर.ए.एस.)

1. हरदेव पुत्र श्रवण, जाति गुर्जर, आयु 44 वर्ष, निवासी मण्डावरिया, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर।
2. केसर पत्नि श्रवण, जाति गुर्जर, आयु–80 निवासी मण्डावरिया, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर।

वादीगण

विरूद्ध

1. गोरधन पुत्र श्रवण, जाति गुर्जर, निवासी मण्डावरिया, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।
2. सरदार पुत्र श्रवण, जाति गुर्जर, निवासी मण्डावरिया, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर।
3. श्योजी पुत्र श्रवण, जाति गुर्जर, निवासी मण्डावरिया, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर।
4. नोरती पत्नि स्व. दूधार, जाति गुर्जर, निवासी मण्डावरिया, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।
5. मंगला पुत्र स्व. दूधार, जाति गुर्जर, निवासी मण्डावरिया, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।
6. चन्द्रप्रकाश पुत्र स्व. दूधार, जाति गुर्जर, निवासी मण्डावरिया, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर।
7. महावीर पुत्र स्व. दूधार, जाति गुर्जर, निवासी मण्डावरिया, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर।
8. हेमराज पुत्र स्व. दूधार, जाति गुर्जर, निवासी मण्डावरिया, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् : 88 आर.टी.एक्ट व 136 आर.एल.आर. एक्ट
मुकदमा नम्बर : 217/2017
निर्णय दिनांक :

न्यायालय हाजा में वकील पक्षकारान् की उपस्थिति में वाद पत्र की बहस सुनने के बाद आज तारीख 14.02.2025 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्रीमति निशा सहारण, आर.ए.एस. के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात्, शपथ पत्र व वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत सहमति जवाबदावे के अनुसार वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाकर ग्राम नयागांव की खसरा संख्या 10, 12 एवं खसरा संख्या 01, 16, 17, 18, 19/1, 27 में वादी संख्या 01 के त्रुटियुक्त नाम देवा पुत्र श्रवण के स्थान पर हरदेव पुत्र श्रवण को खातेदार घोषित किया जाता है तथा नयागांव की कृषि भूमि खसरा संख्या 10, 12, 01, 16, 17, 18 व 27 में वादी संख्या 2 के त्रुटियुक्त नाम "उगमा बेवा श्रवण" के स्थान पर "केसर बेवा श्रवण" को खातेदार घोषित किया जाता है एवं राजस्व रिकार्ड के शुद्धिकरण की डिकी वादीगण के पक्ष में पारित की जाकर तहसीलदार किशनगढ़ को राजस्व रिकार्ड में उक्त आदेशानुसार अमल करने के आदेश दिये जाते है, शेष जमाबन्दी इन्द्राज बदस्तुर रहेगा।

यह डिक्री आज तारीख 14.02.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

निशा सहारण (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

न्यायालय सहायक कलक्टर, किशनगढ अजमेर

राजस्व वाद सं0 217/2017

1. हरदेव पुत्र श्रवण, जाति गुर्जर, आयु 44 वर्ष, निवासी मण्डावरिया, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर।
2. केसर पत्नि श्रवण, जाति गुर्जर, आयु–80 निवासी मण्डावरिया, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर।

वादीगण

विरूद्ध

1. गोरधन पुत्र श्रवण, जाति गुर्जर, निवासी मण्डावरिया, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।
2. सरदार पुत्र श्रवण, जाति गुर्जर, निवासी मण्डावरिया, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर।
3. श्योजी पुत्र श्रवण, जाति गुर्जर, निवासी मण्डावरिया, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर।
4. नोरती पत्नि स्व. दूधार, जाति गुर्जर, निवासी मण्डावरिया, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।
5. मंगला पुत्र स्व. दूधार, जाति गुर्जर, निवासी मण्डावरिया, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।
6. चन्द्रप्रकाश पुत्र स्व. दूधार, जाति गुर्जर, निवासी मण्डावरिया, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर।
7. महावीर पुत्र स्व. दूधार, जाति गुर्जर, निवासी मण्डावरिया, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर।
8. हेमराज पुत्र स्व. दूधार, जाति गुर्जर, निवासी मण्डावरिया, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

आदेश

उपस्थित वकील वादी श्री इन्द्रेश कुमार
वकील प्रतिवादी श्री भवानी सिंह

दिनांक 14.02.2025

1. संक्षिप्त में वाद का सार इस प्रकार है कि वादीगण की ओर से वकील श्री इन्द्रेश कुमार ने एक वाद वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 आपस में पूर्ण रक्त संबंधी होकर श्रवण पुत्र जय राम के वंशज हैं। जिनकी पारिवारीक वंशावली निम्नानुसार हैं:–

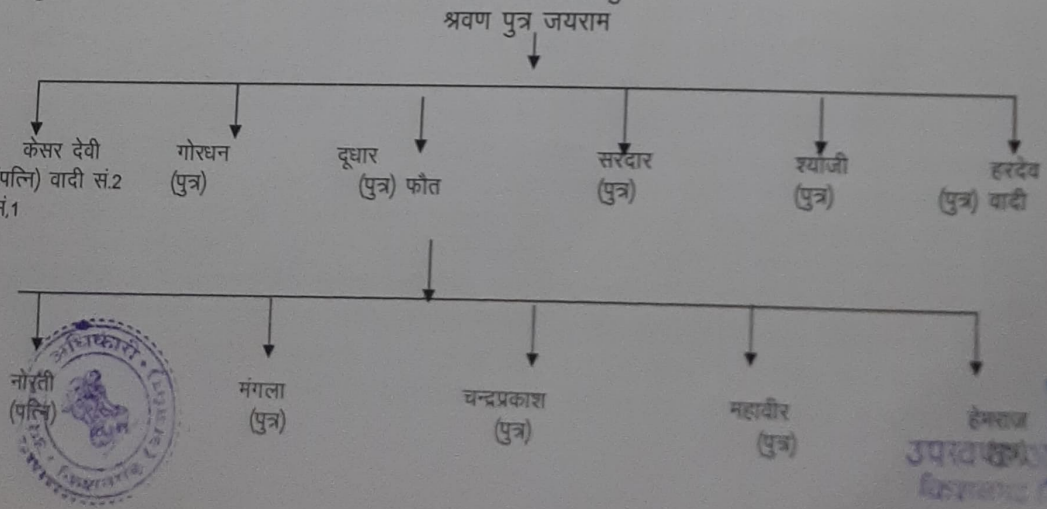

खसरा संख्या	रकबा	किस्म
10	2 बीघा	बारानी तृतीय
12	2 बीघा 8 बिस्वा	बारानी तृतीय
कुल रकबा	4 बीघा 8 बिस्वा	

(ब)–

खसरा संख्या	रकबा	किस्म
1	18 बीघा 6 बिस्वा	बारानी द्वितीय
16	6 बिस्वा	गै.मु.चाह
17	1 बिस्वा	गै.मु.चाह
18	2 बिस्वा	गै.मु.चाह
19	20 बीघा 10 बिस्वा	बंजड प्रथम, बारानी प्रथम व चाही द्वितीय
27	7 बीघा 5 बिस्वा	बंजड द्वितीय
30	3 बिस्वा	गै.मु.चाह
31	31 बीघा 17 बिस्वा	बंजड द्वितीय व बारानी द्वितीय
33	2 बीघा 3 बिस्वा	बारानी द्वितीय
कुल रकबा	80 बीघा 13 बिस्वा	

वाद पैरा संख्या 3(अ) में वर्णित भूमि में उपरोक्त श्रवण पुत्र जयराम एकाकी खातेदार थे एवं 3 (ब) में वर्णित भूमि में श्रवण पुत्र जयराम 1/2 हिस्से के खातेदार थे। इस पहलू पर प्रस्तुत प्रकरण में कोई विवाद नहीं है। वाद पैरा संख्या 3 (अ) व (ब) में वर्णित भूमि में वादी संख्या 1 का वास्तविक नाम "हरदेव" के स्थान पर सहवन से त्रुटियुक्त रूप में "देवा पुत्र श्रवण" अंकित किया गया एवं वादी संख्या 2 का नाम "केसर" के स्थान पर सहवन से "उगमी" अंकित किया गया है। जबकि उपरोक्त वाद पैरा संख्या 1 में वर्णित वंशावली अनुसार उपरोक्त श्रवण पुत्र जयराम के न तो "देवा" नाम का कोई पुत्र था एवं उपरोक्त श्रवण पुत्र जयराम की पत्नि का नाम "केसर" है। उपरोक्त वाद पैरा संख्या 3 में वर्णित ग्राम नयागांव के अतिरिक्त उपरोक्त श्रवण पुत्र जयराम की ग्राम मण्डावरिया में भी निम्नानुसार भूमि अवस्थित थी :–

(अ)

खसरा संख्या	रकबा	किस्म
14	10 बीघा 8 बिस्वा	बारानी तृतीय
58	17 बीघा 15 बिस्वा	बारानी द्वितीय एवं बंजड प्रथम
कुल रकबा	28 बीघा 3 बिस्वा	

उपरोक्त भूमि में श्रवण पुत्र जयराम के एकाकी खातेदारी की थी. जिसमें उपरोक्त वंशावली अनुसार वास्तविक सही नाम से विरासत का नामान्तरण दर्ज है। जिसमें उपरोक्त वादी संख्या 1 का वास्तविक नाम "हरदेव पुत्र श्रवण" एवं वादी संख्या 2 का वास्तविक नाम "मु० केसर बेवा श्रवण" दर्ज है। वादी संख्या 1 व 2 के समस्त पहचान के दस्तावेज यथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पहचान पत्र, आधार कार्ड एवं अन्य लोक अभिलेखों में वाद शीर्षक के अनुसार नाम दर्ज है। इसी अनुक्रम में ग्राम पंचायत तिलोनिया द्वारा उपरोक्त श्रवण पुत्र जयराम की वंशावली के सजरें में भी वाद शीर्षक अनुसार ही श्रवण पुत्र जयराम के उत्तराधिकारियों का नाम वर्णित है वादीगण द्वारा उपरोक्त त्रुटियुक्त नाम अंकन के कारण राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित राजस्व केम्प सरगांव में भी प्रार्थना पत्र दिनांक 6.6.2017 को प्रस्तुत करते हुये वाद पैरा संख्या 3 (अ) में वर्णित सम्पूर्ण खसरों में तथा 3(ब) में वर्णित खसरा संख्या 33, 30, 31 को छोडकर अन्य खसरों पर वादी संख्या 1 ने स्वयं का नाम "देवा" के स्थान पर "हरदेव अंकित करने का एवं उपरोक्त खसरा संख्या 30, 31, 33 एवं 19 में वादी संख्या 2 केसर बेवा श्रवण ने उक्त खसरों को छोडकर अन्य समस्त खसरा यथा वर्णितानुसार 1. 16, 17, 18, 27 में स्वयं का नाम "उगमी" के स्थान पर वास्तविक कैसर" अंकित किये जाने बाबत राजस्व रिकार्ड दर्ज किये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, किन्तु उक्त प्रार्थना पत्र पर वादीगण के वांछितानुसार राजस्व शिविर में संशोधन नहीं किये जाने कारण वादीगण को यह वाद संस्थित किया जाना आवश्यक हुआ है। वाद पत्र के साथ वाद पैरा संख्या 6 में वर्णित ग्राम मण्डावरिया की खसरा संख्या 14 व 58 की जमाबन्दी संलग्न प्रस्तुत है। उपरोक्त वाद पैरा संख्या 3 में वर्णित त्रुटियुक्त

, अंकन का शुद्धिकरण आवश्यक है ताकि राजस्व रिकार्ड में पूर्ण समानता रहें। वाद पैरा संख्या 3 में (भूमि पर वादीगण का वास्तविक हरदेव एवं केसर नाम अंकित नही होने से वादीगण अपनी सम्पत्ति बन्धक रखकर ऋण प्राप्त नही कर पा रहे हैं एवं उपरोक्त भूमि पर सरकारी योजना के अधीन देय नुदान, सहायता आदि के अनुक्रम में राजस्व रिकार्ड की तुलना में पहचान के वास्तविक नाम होने के कारण कई कठिनाईयों का सामना कर रहे है। प्रस्तुत वाद हेतु वाद कारण दिनांक 6.6.2017 को वादीगण द्वारा उपरोक्त बाबत् स्वयं का वास्तविक नाम का राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण करवाये जाने बाबत् राजस्व शिविर में प्रस्तुत किये जाने वांछितानुसार संशोधन नही किये जाने से उत्पन्न होकर आज तक सतत है। उपरोक्त वाद पैरा संख्या 3(अ) में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में देवा एवं उगमी के नाम अंकन का केवल लिपिकीय त्रुटि (Clerkcial mistake) की श्रेणी का हैं। उपरोक्त श्रवण पुत्र जयराम के कुल 6 वारिसान है। इस वाद से अन्य वारिसान के किसी हिस्से पर कोई प्रभाव नहीं पडता है। उपरोक्त श्रवण के पुत्र दूधार का देहाबसान हो गया एवं दूधार के वारिसान कमशः प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 8 है। प्रतिवादी संख्या 9 भूमिधारी हैं एवं राजस्व रिकार्ड के शुद्धिकरण का इन्द्राज प्रतिवादी संख्या 9 को किया जाना हैं, इस कारण उन्हें पक्षकार बनाया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 9 के अधिकारों को प्रभावित करने वाला कोई विशिष्ट श्रेणी का अनुतोष नहीं चाहा गया है. बल्कि वाद संस्थन पूर्व ही वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 9 के समक्ष दिनांक 6.6.2017 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसके अनुक्रम में वादीगण को वाद संस्थित किया जाना आवश्यक हुआ है। अतः श्रीमान से वादी की प्रार्थना है कि वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम नयागांव की खसरा संख्या 10, 12 एवं खसरा संख्या 01, 16, 17, 18, 19/1, 27 में वादी संख्या 1 का नाम देवा पुत्र श्रवण के स्थान पर हरदेव पुत्र श्रवण अंकित किये जाने की घोषणा एवं राजस्व रिकार्ड के शुद्धिकरण की डिक्री वादीसंख्या 1 के पक्ष में पारित की जावे तथा उपरोक्त नयागांव की वर्णित भूमि खसरा संख्या 10, 12, 01, 16, 17, 18, व 27 में वादी संख्या 2 के त्रुटियुक्त नाम "उगमा बेवा श्रवण" के स्थान पर "कैसर बेवा श्रवण" वर्णित हिस्सेनुसार खातेदार होने एवं राजस्व रिकार्ड के शुद्धिकरण की डिक्री वादीगण के पक्ष में पारित की जाकर प्रतिवादी संख्या 9 को निर्दिष्ट किया जावें कि, वह वादीगण का वास्तविक नाम वर्णित डिक्री अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद इन्द्राज करें।

वाद पत्र को दिनांक 24.11.2017 को दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी करवाई गई। दिनांक 10.08.2018 को प्रतिवादी संख्या 01 से 08 की ओर से वकील श्री भवानी सिंह ने वकालतनामा पेश किया एवं जवाब पेश कर जाहिर किया कि वाद के पैरा संख्या 01 से 06 प्रतिवादी संख्या 01 से 08 को स्वीकार है ।जहां तक प्रतिवादी उत्तरकर्तागण को संज्ञान है. उपरोक्त वादी संख्या 1 के लोक अभिलेख में वास्तविक नाम हरदेव एवं वादी संख्या 2 का नाम केसर है। उपरोक्त वंशावली में दर्शित श्रवण पुत्र जयराम के देवा नाम का कोई पुत्र नहीं हैं, बल्कि हरदेव को गांव की बोलचाल में सहवन से नामान्तरण में देवा दर्ज किया गया हैं. इसी प्रकार वादी संख्या 2 भी उनकी पूर्ण रक्त संबंधी हैं जिसका नाम राजस्व रिकार्ड में सहवन से उगमी दर्ज किया गया है। वाद पैरा संख्या 8 के कथन स्वीकार है। दिनांक 6.6.2017 को जो राजस्व शिविर ग्राम सरगांव में लगा था में प्रतिवादी भी उपस्थित हुये थे एवं प्रतिवादीगण ने राजस्व रिकार्ड में वादी के वाद पत्र अनुसार शुद्धिकरण बाबत अपनी सहमति प्रकट की थी। वाद पैरा संख्या 9 के कथन रिकार्ड की विषयवस्तु है, किन्तु यह सही है कि, राजस्व रिकार्ड का शुद्धिकरण किया जाना आवश्यक है।शेष कथन प्रार्थना वादीगण हैं वादीगण का वाद यदि स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड में शुद्ध अंकन किया जाता हैं तो प्रतिवादी उत्तरकर्तागण को कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक 29.08.2018 को प्रतिवादी संख्या 09 का जवाब बन्द किया गया तथा वादी की साक्ष्य ली गई जिसमें निम्नानुसार दस्तावेजात पर प्रदर्श का अंकन किया गया।

प्रदर्श 01:—जमाबन्दी ग्राम नयागांव पटवार हल्का बीती सम्वत 2067—70 खसरा संख्या 01, 16, 17, 18, 19, 27 व अन्य। प्रदर्श 02:—जमाबन्दी ग्राम नयागांव पटवार हल्का बीती सम्वत 2067—70 खसरा संख्या 10 व 12। प्रदर्श 03:—जमाबन्दी ग्राम मण्डावरिया पटवार हल्का भोजियावास सम्वत 2066—69 खसरा संख्या 14 व 58। प्रदर्श 04:— कार्यालय ग्राम पंचायत तिलोनिया द्वारा जारी वारिसान सजरा जिसमें वादीगण का नाम उल्लेखित है दिनांक 25.05.2017। प्रदर्श 05:— भामाशाह का आवेदन पत्र की प्रमाणित प्रति। मार्क ए—शिविर प्रभारी को शुद्धी हेतु दिया गया प्रार्थना पत्र। प्रदर्श 06:— ग्राम नयागांव नामान्तरण संख्या 189 दिनांक 21.07.1990 की प्रमाणित प्रति। प्रदर्श 07:— ग्राम मण्डावरिया के नामान्तरण संख्या 25 दिनांक 11.06.1992 की प्रमाणित प्रति। प्रदर्श 8 ए:— निर्वाचन विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति। प्रदर्श 9 ए:— हरदेव के आधार कार्ड की प्रति। प्रदर्श 10 ए:— पहचान पत्र की प्रति। प्रदर्श 11 ए:— केसर के आधार कार्ड की प्रति। प्रदर्श 12 ए:— राशन कार्ड की प्रति। दिनांक 16.12.2019 को प्रतिवादी की साक्ष्य ली गई। दिनांक 10.02.2015 को वकील उभयपक्ष की मूल वाद पर बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा वाद पत्र एवं जवाबदावा के तथ्यों को दोहराया गया।

हमारे द्वारा वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा वादपत्र, जवाबदावे तथा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। ग्राम मण्डावरिया की जमाबन्दी प्रदर्श 03:—जमाबन्दी ग्राम मण्डावरिया पटवार हल्का भोजियावास सम्वत 2066—69 खसरा संख्या 14 व 58 में वादीगण का नाम हरदेव पुत्र श्रवण तथा केसर बेवा श्रवण का अंकन है, प्रदर्श 04:— कार्यालय ग्राम पंचायत तिलोनिया द्वारा जारी वारिसान सजरा से भी सिद्ध है कि हरदेव पुत्र श्रवण व देवा पुत्र श्रवण एवं उगमी बेवा श्रवण तथा केसर बेवा श्रवण एक ही है जबकि राजस्व रिकार्ड में उनके नाम अलग अलग अंकित है। साथ ही श्रवण के अन्य वारिसान तथा शपथ पत्र तथा साक्ष्य में अंकन करवाया है कि हरदेव पुत्र श्रवण व देवा पुत्र श्रवण एवं उगमी बेवा श्रवण तथा केसर बेवा श्रवण एक ही है तथा ग्राम नयागांव के वादअधीन राजस्व रिकार्ड में देवा पुत्र श्रवण के स्थान

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

हरदेव पुत्र श्रवण एवं उगमी बेवा श्रवण के स्थान पर केसर बेवा श्रवण का अंकन कर दिया जावे तो हैं कोई आपत्ति नहीं है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, ग्राम पंचायत तिलोनिया की अनुशंषा एवं कील प्रतिवादी द्वारा पेश सहमति जवाबदावे तथा साक्ष्य एवं वाद के आद्योपान्त विवेचन के उपरान्त वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम नयागांव पटवार हल्का बीती के खसरा संख्या 10, 12 एवं खसरा संख्या 01, 16, 17, 18, 19/1, 27 में देवा पुत्र श्रवण के स्थान पर हरदेव पुत्र श्रवण को खातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार किशनगढ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम नयागांव पटवार हल्का बीती के खसरा संख्या 10, 12 एवं खसरा संख्या 01, 16, 17, 18, 19/1, 27 (अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2067–70) देवा पुत्र श्रवण के स्थान पर हरदेव पुत्र श्रवण का अंकन राजस्व रिकार्ड में करें तथा ग्राम नयागांव पटवार हल्का बीती के खसरा संख्या 10, 12 एवं खसरा संख्या 01, 16, 17, 18, 27 में उगमी बेवा श्रवण के स्थान पर केसर बेवा श्रवण को खातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार किशनगढ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम नयागांव पटवार हल्का बीती के खसरा संख्या 10, 12 एवं खसरा संख्या 01, 16, 17, 18, 27 में उगमी बेवा श्रवण के स्थान पर केसर बेवा श्रवण (अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2067–70) अंकन राजस्व रिकार्ड में करें तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करके पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में पेश करे।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 14/2/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निशा सहारण(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
किशनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)